

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1( 56 )एमई/गुप-1/2013

जयपुर, दिनांक

आदेश

डॉ० अनुपमा गुप्ता, सहायक आचार्य, निश्चेतन, मेडिकल कॉलेज, कोटा ने दिनांक 30.08.2013 से 14.01.2014 (कुल 138 दिवस) तक पी.एम.सी., कोटा के अधीन पदस्थापन आदेश की प्रतिकक्षा में अपनी उपस्थिति दी है।

अतः राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(ख)(III) के अन्तर्गत डॉ० अनुपमा गुप्ता की दिनांक 30.08.2013 से 14.01.2014 तक की पदस्थापन आदेश की प्रतिकक्षा अवधि (कुल 138 दिवस) को कर्तव्य पर माने जाने एवं नियम 25 ए के अन्तर्गत इनके वेतन भत्ते आहरित करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त आई.डी. संख्या एफ 14001976 दिनांक 02.04.2014 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से,



(धन्नालाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, कोटा।
2. डॉ० अनुपमा गुप्ता, सहायक आचार्य, निश्चेतन, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
3. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव